संख्या-10 /2023/ 26 मंत्री /क.नि.प्र./26-3-2023-19(20)/2019 टीसी

प्रेषक,

नन्द किशोर शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ — लखनऊ: दिनांक : 06 सितम्बर,2023

समाज कल्याण विभाग

विषय: अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड-नाथ नगर के ग्राम सिन्धापुर एवं जनपद बस्ती के विकास खण्ड-बहादुरपुर के ग्राम दौलत चक्र में अवशेष कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराया जाना है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड-नाथ नगर के ग्राम सिन्धापुर एवं जनपद बस्ती के विकास खण्ड-बहादुरपुर के ग्राम दौलत चक्र में सी.सी.रोड, इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में क्रमश: शासनादेश संख्या-15/2019/318/क.नि.प्र./26-3-2019-19(20)/ 2019 दिनांक 08 मार्च,2019 एवं शासनादेश संख्या-30/ 2020/ 569/क.नि.प्र./26-3-2020-19(20)/2019 दिनांक 16-09-2020 द्वारा निम्नानुसार धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था:-

जनपद- सन्तकबीर नगर।						
विकास खण्ड	**ग्राम का नाम**	**कार्य का नाम**	**कार्य की कुल लागत**	**प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत**	**द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत**	**अवशेष धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
नाथ नगर	**सिन्धापुर**	**सी0सी0रोड़, इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।**	**332.19**	**16.00**	**25.00**	**291.19**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनपद- बस्ती						
बहादुरपुर	**दौलतचक्र**	**सी0सी0रोड़, इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।**	**129.45**	**16.00**	**25.00**	**88.45**
		योग-	**461.64**	**32.00**	**50.00**	**379.64**

2- इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उच्च स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार प्रश्नगत प्रकरण में चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) के स्थान पर अब अवशेष कार्यो को कराये जाने हेतु यू.पी. स्टेट कांसट्राक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0 सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

3- कृपया प्रकरण में तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नन्द किशोर शर्मा
संयुक्त सचिव।

पृ0संख्या-10/2023/ 26 मंत्री (1)/क.नि.प्र./26-3-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, सन्तकबीर नगर एवं बस्ती ।
3- कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ
4- वित्त नियन्त्रक, समाज कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), सन्तकबीर नगर एवं बस्ती।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (यू.पी. सिडको) उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नन्द किशोर शर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in